



प्रेस—विज्ञप्ति

राज्यपाल—सह—कुलाधिपति ने राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए नये कुलपति / प्रतिकुलपति नियुक्ति किये

पटना, 19 अगस्त, 2021

महामहिम राज्यपाल—सह—कुलाधिपति श्री फागू चौहान ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (अद्यतन यथासंशोधित) एवं नालन्दा खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (अद्यतन यथासंशोधित) की सुसंगत धाराओं में अंतर्निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति / प्रतिकुलपति पद के लिए नियुक्तियाँ की हैं।

उन्होंने इन विश्वविद्यालयों के कुलपति / प्रतिकुलपति की नियुक्ति के लिए गठित सर्व कमिटी की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार से प्रभावी एवं सार्थक विमर्श के बाद विभिन्न शिक्षाविदों को इन पदों पर नियुक्त किया है।

मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर के कुलपति के पद पर प्रो० श्यामा राय को नियुक्त किया गया है।

नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना के कुलपति के पद पर प्रो० कृष्ण चन्द्र सिन्हा को नियुक्त किया गया है।

मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना के कुलपति के पद पर प्रो० मो० कुद्दुस को नियुक्त किया गया है।

पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णिया के कुलपति के पद पर प्रो० राज नाथ यादव को नियुक्त किया गया है। प्रो० यादव वर्तमान में इसी विश्वविद्यालय के कार्यकारी कुलपति हैं।

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना के प्रतिकुलपति के पद पर प्रो० राजीव कुमार मल्लिक की नियुक्ति की गई है।

मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर के प्रतिकुलपति के पद पर प्रो० (डॉ०) जवाहर लाल की नियुक्ति की गई है।

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के प्रतिकुलपति के पद पर प्रो० सी०एस० चौधरी की नियुक्ति की गई है।

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रतिकुलपति के पद पर प्रो० सिद्धार्थ शंकर सिंह की नियुक्ति की गई है।

नव—नियुक्त कुलपति / प्रतिकुलपति का कार्यकाल उनके प्रभार—ग्रहण की तिथि से प्रारंभ होकर तीन वर्षों का होगा। उपर्युक्त संबंध में राज्यपाल सचिवालय द्वारा आज अधिसूचना निर्गत कर दी गई है।